# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 3125/2023**

किरण कुमारी –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झुन्झुनूं।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतीकरण की दिनांक** : **08**.11.2023
**आदेश की दिनांक** : 09.11.2023

**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावडा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2020 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपकेन्द्र, सोकिया, जिला चित्तौड़गढ़ से उपकेन्द्र रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं में अनिता कुमारी के स्थान पर किया गया था। उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.01.2021 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं में कार्यग्रहण कर लिया एवं दिनांक 08.01.2021 को उपकेन्द्र रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं में कार्यभार ग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–2 एवं 3)। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष वेतन आहरण नहीं किये जाने के संदर्भ में दिनांक 09.08.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जबकि अपीलार्थी के वेतन का आहरण मार्च, 2022 से नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को बार–बार वेतन के संदर्भ में अवगत कराया जा रहा है, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.12.2020 को अनिता कुमारी द्वारा माननीय न्यायालय

के समक्ष चुनौती दी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अनिता कुमारी के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया गया। विभाग द्वारा दोनों महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित रखा, जबकि अनिता कुमारी की अपील का माननीय अधिकरण के द्वारा निस्तारण भी कर दिया गया है उसके बावजूद भी अपीलार्थी का वेतन आहरण नहीं करवाया जा रहा है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का वेतन मार्च 2022 से आज तक वर्तमान पदस्थापन स्थान से आहरण करवाया जावे और अपीलार्थी को अधिशेष श्रेणी में नहीं रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं में कार्यरत है। आदेश दिनांक 31.12.2020 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपकेन्द्र, सोकिया, जिला चित्तौड़गढ़ से उपकेन्द्र रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं किया गया था। जहां अपीलार्थी ने दिनांक 08.01.2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को मार्च, 2022 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार उपस्थिति की जांच कर अपीलार्थी का वेतन किसी भी रिक्त पद से 15 दिवस की अवधि में आहरित किया जाकर भुगतान किया जावे। इस निर्देश के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**